C 150913/JS(DM)/13
16/8

14

RTI MATTER/TIME BOUND

R-150913/DS(DM)/13
19/8/13

No. A- 43020/ 01 /2013-RTI
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya
*****

New Delhi, Dated the 13/8/, 2013.

Subject: First Appeal filed by Shri/Smt/Kum.....Pawan Agarwal....... .... under Section 19 (1) of the Right to Information Act, 2005.

*****

The undersigned is directed to refer to first appeal dated .02../.08./2013 under the RTI Act, 2005 filed by Shri/Smt/Kum.....Pawan ...Agarwal................... .... (received in this Ministry on ....../....../2013) in connection with the information sought through his/her RTI application dated ..28./.06../2013 .

2. Since the RTI application dated ..28../..6.../2013 was earlier dealt with by/~~transferred~~/forwarded to ....D.M.....Division................................ ...., the appeal is forwarded to the concerned Appellate Authority(ies) for taking appropriate action in the matter.

Encl: As above.

(S. Samanta)
Under Secretary to the Govt. of India.

To

Joint Secretary (DM),
M/o Home Affairs
NDCC-II Building, Jai Singh Road
New Delhi

Copy for information to:

Shri/Smt/Kum. Pawan Agarwal
Residence – Jilal Street
Mandi Chowk,
Muradabad – 244001
Uttar Pradesh

DS
(DM)/DO
RTI appeal
TO (DM)
16/8

Appl. 213/R41/2013
13.08.13

सेवा में,

प्रथम अपीलीय अधिकारी
गृह सचिव, गृह मंत्रालय,
नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

विषयः— सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा— 19(1) के अधीन प्रथम अपील

महोदय,

निवेदन है कि अपीलकर्ता ने दिनांक 28.06.2013 को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन जन सूचना अधिकारी/कार्यालय प्रधानमंत्री, भारत सरकार नई दिल्ली से सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन किया था। तत्पश्चात सैयद इकराम रिजवी उप सचिव एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी का पत्रांकः—आरटीआई/3083/2013—पीएमआर दिनांक 02.07.2013 प्राप्त हुआ जिसके माध्यम से सूचना देने हेतु गृह सचिव, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक नई दिल्ली को निर्देशित किया गया ह परन्तु 30 दिन की निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद भी अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार अपीलकर्ता को सूचना उपलब्ध नहीं हुई, न उसका निस्तारण हुआ।

यह कि प्रतिवादी ने अधिनियम की धारा 7(1) (के अधीन सूचना कोई सूचना नहीं दी) का उल्लघंन/अतिक्रमण कर अपने कर्तव्यों और दायित्वों का पालन नहीं किया है। 30 दिन के बाद होने वाले विलम्ब के लिए 250 रूपये प्रतिदिन व 500 प्रतिदिन हर्जा खर्चा की दर से प्रतिवादी पर दण्ड आरोपित किया जाय।

अतः आपसे अपीलकर्ता अपील करता है कि संलग्न आवेदन पत्र दिनांक 28.06.2013 में मॉगी गयी सूचना बिन्दुवार उपलब्ध करायी जाये।

दिनांकः— 02.08.2013

अपीलार्थी

(पवन अग्रवाल)
आर0टी0आई0 एक्टिविस्ट

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी
कार्यालय प्रधानमंत्री
भारत सरकार,
नई दिल्ली।

विषयः— सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन पत्र।

महोदय,

निवेदन यह है कि प्रार्थी उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निम्न सूचनायें प्राप्त करना चाहता है इस बाबत निर्धारित शुल्क अंकन 10/— रू0 का पोस्टल आर्डर संख्या—17F879307 साथ में संलग्न कर प्रस्तुत है।

1. यह कि जून 2013 में उत्तराखण्ड राज्य में घटित प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों की सहायता हेतु आपदा प्रबन्ध विभाग में जो धनराशि एकत्रित हुई उसकी सूचना उपलब्ध करायें।

2. यह कि जून 2013 में उत्तराखण्ड राज्य में घटित प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों की सहायता हेतु आपदा प्रबन्ध विभाग में जो धनराशि एकत्रित हुई उक्त धनराशि के वितरण में जो विधि अपनाई जा रही है उसका पूर्ण विवरण उपलब्ध करायें।

3. यह कि जून 2013 में उत्तराखण्ड राज्य में घटित प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों की सहायता हेतु आपदा प्रबन्ध विभाग में से जो धनराशि वितरित की गयी उसके उपभोग प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियाँ उपलब्ध करायें।

अतः प्रार्थना है कि समस्त सूचना बिन्दुवार मय प्रमाणित प्रति के समय अन्तर्गत प्राप्त कराने की कृपा करें।

दिनांकः— 28.06.2013

संलग्नकः— उपरोक्तानुसार।

आवेदक

(पवन अग्रवाल)
आर0टी0आई0 एक्टिविस्ट
नि0— जोलाल स्ट्रीट,
मण्डी चौक, मुरादाबाद।
मो0— 9457685485

प्रतिपर्ण COUNTERFOIL
इसे फाड़कर प्रेषक अपने पास रख लें।
To be detached and kept by the Sender.
पोस्टल आर्डर
रुपए 10.00 Rs.
POSTAL ORDER
किसे देय करना
To whom payable ......P.M.....
.....PMNRF.....
किस डाकघर में
At what Office..............
क्या इसे क्रास किया है
Whether crossed..............
भेजने की तारीख
Date sent ....28-6-13....
17F 879307

EU039000749IN
Counter No:1
India Post

सूचना का अधिकार

प्रधान मंत्री कार्यालय

साउथ ब्लाक, नई दिल्ली - 110 011

संख्या आरटीआई/3083/2013-पीएमआर | दिनांक: 02.07.2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय - सूचना का अधिकार के तहत आवेदन-पत्र

उपर्युक्त विषय पर श्री पवन अग्रवाल से प्राप्त दिनांक 28.6.2013 का आवेदन-पत्र, जो इस कार्यालय में दिनांक 1.7.2013 को प्राप्त हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत यथोचित कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक से आवेदन-शुल्क प्राप्त हो गई है।

(सैयद इकराम रिज़वी)
उप सचिव एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
☎: 2307 4072

गृह सचिव, गृह मंत्रालय
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

प्रति- (रजिस्टर्ड पोस्ट ए.डी. द्वारा)

श्री पवन अग्रवाल
निo जीलाल स्ट्रीट
मण्डी चौक, मुरादाबाद
उत्तर प्रदेश

कृपया आप इस संबंध में आगे सूचना हेतु उपरोक्त लोक प्राधिकरण से सम्पर्क करें।

आर टी आई मामला/समयबद्ध

PLEASE ISSUE
R&I SECTION
1217

सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
****

12
नई दिल्ली, दिनांक: 8/07/, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत ~~श्री/श्रीमती/कु.~~ पवन अग्रवाल का आवेदन।

****

अधोहस्ताक्षरी को इसके साथ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत ~~श्री/श्रीमती/कु.~~ पवन अग्रवाल का दिनांक 28/06/2013 का आवेदन (अंतरण द्वारा इस मंत्रालय में प्रधान मंत्री कार्यालय से दिनांक 05/07/2013 को प्राप्त) सूचना मुहैया करवाने के लिए आपदा प्रबन्ध प्रभाग को अंतरित करने का निदेश हुआ है क्योंकि मांगी गई सूचना का उक्त प्रभाग के कार्यों से निकटतम रूप से संबंध है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए, आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को आगे अंतरित कर दिया जाए।

प्रधान मंत्री कार्यालय में जमा कर दिया है

3. आवेदक ने 10/- रु. के अपेक्षित आवेदन शुल्क ~~का दिनांक ____/____/2013 की रसीद संख्या ______ के तहत भुगतान~~ कर दिया है ~~(प्रति संलग्न)/नहीं किया है क्योंकि वह गरीबी रेखा के नीचे (बी पी एल) की श्रेणी का होने का दावा करता है/से संबंध रखता है।~~

संलग्नक: यथोपरि।

O/C

(हस्ताक्षर)
(एस सामंत)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

निदेशक (डी एम-II)
गृह मंत्रालय
एन डी सी सी-II भवन
नई दिल्ली।

प्रतिलिपि सूचनार्थ

~~श्री/श्रीमती/कु.~~ पवन अग्रवाल
जौलाल स्ट्रीट मण्डी चौक
मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।

(उनसे इस मामले में आगे की सूचना प्राप्त करने के लिए ऊपर उल्लिखित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है)

ISSUED
12 JUL 2013

सूचना का अधिकार

प्रधान मंत्री कार्यालय

साउथ ब्लाक, नई दिल्ली - 110 011

संख्या आरटीआई/3083/2013-पीएमआर

दिनांक: 02.07. 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय - सूचना का अधिकार के तहत आवेदन-पत्र

उपर्युक्त विषय पर श्री पवन अग्रवाल से प्राप्त दिनांक 28.6.2013 का आवेदन-पत्र, जो इस कार्यालय में दिनांक 1.7.2013 को प्राप्त हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत यथोचित कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक से आवेदन-शुल्क प्राप्त हो गई है।

(सैयद इकराम रिज़वी)
उप सचिव एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
☎: 2307 4072

गृह सचिव, गृह मंत्रालय
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

प्रति- (रजिस्टर्ड पोस्ट ए.डी. द्वारा)

श्री पवन अग्रवाल
नि0 जीलाल स्ट्रीट
मण्डी चौक, मुरादाबाद
उत्तर प्रदेश

कृपया आप इस संबंध में आगे सूचना हेतु उपरोक्त लोक प्राधिकरण से सम्पर्क करें।

4425/RTI/2013
8/7/13

(DM-I)

3083|13

3083-13-250113   75

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी
कार्यालय प्रधानमंत्री
भारत सरकार,
नई दिल्ली।

विषयः—   सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन पत्र।

महोदय,

निवेदन यह है कि प्रार्थी उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निम्न सूचनायें प्राप्त करना चाहता है इस बाबत निर्धारित शुल्क अंकन 10/— रू0 का पोस्टल आर्डर संख्या—17F879307 साथ में सलग्न कर प्रस्तुत है।

1. यह कि जून 2013 में उत्तराखण्ड राज्य में घटित प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों की सहायता हेतु आपदा प्रबन्ध विभाग में जो धनराशि एकत्रित हुई उसकी सूचना उपलब्ध करायें।

2. यह कि जून 2013 में उत्तराखण्ड राज्य में घटित प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों की सहायता हेतु आपदा प्रबन्ध विभाग में जो धनराशि एकत्रित हुई उक्त धनराशि के वितरण में जो विधि अपनाई जा रही है उसका पूर्ण विवरण उपलब्ध करायें।

3. यह कि जून 2013 में उत्तराखण्ड राज्य में घटित प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों की सहायता हेतु आपदा प्रबन्ध विभाग में से जो धनराशि वितरित की गयी उसके उपभोग प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियाँ उपलब्ध करायें।

अतः प्रार्थना है कि समस्त सूचना बिन्दुवार मय प्रमाणित प्रति के समय अन्तर्गत प्राप्त कराने की कृपा करें।

दिनांकः— 28.06.2013

संलग्नकः— उपरोक्तानुसार।

आवेदक

(पवन अग्रवाल)
आर0टी0आई0 एक्टिविस्ट
नि0— जीलाल स्ट्रीट,
मण्डी चौक, मुरादाबाद।
मो0— 9457685465

10239
01/07/13
06/07/13

IPO NO. 17F 879307 ₹ 10/-

877757

स्पीड पोस्ट द्वारा
आर.टी. आई. मामला

संख्या.40-28/2012-एन.डी.एम
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

23 AUG 2013
हस्ताक्षर

हाल-'बी', तृतीय तल, एन.डी.सी.सी-।। भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली।
दिनांक 22- अगस्त, 2013

सेवा में,
श्री पवन अग्रवाल,
नि0- जीलाल स्ट्रीट,
मण्डी चौक
मुरादाबाद.244001
(उत्तर प्रदेश)

विषयः- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-19(1) के अधीन प्रथम अपील

कृपया इस अनुभाग में 16.08.13 को प्राप्त अपने दिनांक 02.08.13 के अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-19(1) के तहत प्रथम अपील का अवलोकन करें जिसके तहत आपके द्वारा भेजे गये आर टी आई आवेदन पत्र दिनांक 28.06.2013 के अन्तर्गत उत्तराखंड से संबंधित सूचनाएं मांगी गई थी।

2. इस सन्दर्भ में आपको अवगत कराया जाता है कि आपके द्वारा भेजे गये आर टी आई आवेदन पत्र को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3)(ii) के अंतर्गत मुख्य सचिव उत्तराखंड को दिनांक 29/31 जुलाई, 2013 को उचित कार्यवाही हेतु हस्तांतरित किया जा चुका है। उक्त पत्र की छाया प्रति आपकी सूचनार्थ हेतु संलग्न हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि उचित जानकारी हेतु आप सीधे उपर्युक्त विभाग से संपर्क स्थापित करें।

3. अतः आपके द्वारा भेजी गई उक्त प्रथम अपील पर कार्रवाई करके इसका निपटान किया जा चुका है।

संलग्नक :- ऊपर वर्णित

जी.वी.वी. शर्मा
(जी.वी.वी. शर्मा)
संयुक्त सचिव एवं अपीलप्राधिकारी,
टेलीफोन-234381087

प्रतिलिपि सूचनार्थ हेतुः-
आर.टी.आई. अनुभाग, (श्री एस सामन्ता, अवर सचिव), गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली (आपके पत्र संख्या ए-43020/01/2013-आर टी आई दिनांक 13.08.13)।

स्पीड पोस्ट द्वारा
आर.टी. आई. मामला

संख्या.40-12/2013-एन.डी.एम
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

हाल-'बी', तृतीय तल, एन.डी.सी.सी-।। भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली।
दिनांक 29 जुलाई, 2013

31 JUL 2013

सेवा में,

श्री पवन अग्रवाल,
नि0- जीलाल स्ट्रीट,
मण्डी चौक
मुरादाबाद

विषयः- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना

कृपया इस अनुभाग में 18.07.13 को प्राप्त अपने दिनांक 28.06.13 के आर.टी.आई आवेदन का अवलोकन करें जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत उत्तराखंड से संबंधित सूचनाएं मांगी गई हैं।

2. उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार बिंदु संख्या 1 एवं 3 के सन्दर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह कहना है कि मांगी गई सूचनाएं इस विभाग से संबंधित नहीं है। क्योंकि मांगी गई सूचना का संबंध मुख्य सचिव उत्तराखंड से है। अतः आवेदन को मुख्य सचिव उत्तराखंड को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3)(ii) के अंतर्गत हस्तांतरित किया जाता है। इस सन्दर्भ में आपसे अनुरोध है कि उचित जानकारी हेतु आप सीधे उर्पयुक्त विभाग से संपर्क स्थापित करें।

3. यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप इसके प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर सूचना का अधिकार अधिनियम के, 2005 की धारा 19(1) के तहत निम्नलिखित को अपील कर सकते हैं।

श्री जी.वी.वी.सर्मा, संयुक्त सचिव एवं अपील प्राधिकारी,
डी.एम. प्रभाग, गृह मंत्रालय,
हॉल-'बी', तीसरा तल, एन.डी.सी.सी.-।। भवन,
जयसिंह रोड,
नई दिल्ली-110001

(गौतम घोष)
उप सचिव एवं केन्द्रीय सूचना अधिकारी (डी एम-।)
टेलीफोन-23438123

क्रमशः2/-